प्रेस नोट
दिनांक 17.01.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.06.2021 को तत्कालिन प्र0नि0 श्याम बहादुर सिंह द्वारा थाना को0 मनकापुर में मु0अ0सं0–173/21, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम बनाम–01. राजेश पाण्डेय उर्फ सुन्दर लाल आदि 03 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रबोध कुमार द्वारा की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी अभियुक्त राजेश पाण्डेय उर्फ सुन्दर लाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.09.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त राजेश पाण्डेय उर्फ सुन्दर लाल का एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु वाहन चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते थे।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे पंचम अपर सत्र के न्यायाधीश श्री राजबहादुर रामदेव यादव द्वारा थाना को0 मनकापुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 17.01.2025 को दोषी अभियुक्त राजेश पाण्डेय उर्फ सुन्दर लाल को जुर्म स्वीकार के क्रम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/– अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. राजेश पाण्डेय उर्फ सुन्दर लाल पुत्र सुखनन्दन पाण्डेय नि0 बिछनईया पाण्डेय थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0– 173/21, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।